<u>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 70/2019

1. कर्मजीत कौर पुत्री रेशम सिंह जाति जटसिख निवासी 41 एफ तहसील श्री करणपुर।

--वादिया--

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट, 88 आरटीए</u>

--निर्णय-- **दिनांक : 27.01.2020**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादिया ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 41 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 7/7 में 1.265 हैक्टर, खाता संख्या 8/8 में 3.744 हैक्टर व खाता संख्या 76 में 1.644 हैक्टर भूमि वादिया कर्मजीत कौर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। कर्मजीत कौर की शादी गुरनेक सिंह के साथ हुई थी। परन्तु आपस में न बनने के कारण कर्मजीत कौर का गुरनेक सिंह के साथ 04.04.2014 को न्यायालय अपर सिविल जज डिवीजन अबोहर से तलाक हो चुका है। चक 41 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 7/7, 8/8 व 76 में कर्मजीत कौर के पति का नाम गुरनेक सिंह लिखा हुआ है। जिसको वादिया राजस्व रिकॉर्ड में अपने पति के नाम गुरनेक सिंह के स्थान पर अपने पिता का नाम रेशम सिंह दर्ज करवाना चाहती है। वादिया के तमाम दस्तावेज यथा राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड में वादिया के पिता का नाम रेशम सिंह दर्ज है। इसलिए जमाबन्दी में अपने पति गुरनेक सिंह के स्थान पर अपने पिता रेशम सिंह का नाम दर्ज करवाना चाहती है। वादिया का आपसी में तलाक की डिग्री जारी होने के बाद विवाह का सम्बन्ध विच्छेद हो चुका है तथा हिन्दूता के अनुसार वादिया गुरनेक सिंह की पत्नि नही रही है। तो वादिया राजस्व रिकॉर्ड में अपने पति गुरनेक सिंह के स्थान पर अपने पिता रेशम सिंह का नाम दर्ज करवाना चाहती है। वादिया ने प्रतिवादी को नाम दुरूस्त करवाने बाबत कई बार कहा तो टाल-मटोल करते रहे आज से 10 रोज पूर्व उपजिलाधीश राजस्व से दुरूस्ती करवाने का कहकर इन्कार हो गए यही वाद कारण है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।

अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट, 88 आरटीए पेश कर निवेदन है कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः-

कि वादिया के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि चक 41 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 7/7, 8/8 व 76 में वादिया के नाम के आगे पति गुरनेक सिंह के नाम को हटाया जाकर पुत्री रेशम सिंह दर्ज किए जाने के आदेश फरमावे।

वाद पत्र पेश होन पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। राजपैरोकार द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया। कार्यालय तहसीलदार श्री करणपुर के पंत्राक 7930 दिनांक 23.12.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार प्रार्थिया कर्मजीत कौर पत्नि गुरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी 41 एफ के नाम चक 41 एफ में जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 7 में मु.न. 22, 39/5 में कुल 1.265 हैक्टर, खाता संख्या 8 में मु.न. 17,31,39/3 की कुल 3.744 हैक्टर व खाता संख्या 76 में मु.न. 6 में 1.644 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वर्तमान में प्रार्थिया चक 41 एफ में निवास कर रही है। उक्त भूमि पर

प्रार्थिया काश्त कर रही है। प्रार्थिया डिक्री तलाक के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में पुत्री रेशम सिंह जाति जटसिख दर्ज करवाना चाहती है।

बहस सुनी गई वादिया अधिवक्ता ने बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, वाद पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादिया के द्वारा अपने वादपत्र में चक 41 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 7/7, 8/8 व 76 में वादिया कर्मजीत कौर के नाम के आगे पति गुरनेक सिंह के नाम को हटाया जाकर पुत्री रेशम सिंह दर्ज किए जाने बाबत निवेदन किया है। वादिया का नाम राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड में वादिया का नाम कर्मजीत कौर पुत्री रेशम सिंह अंकित है, व वादिया कर्मजीत कौर का गुरनेक सिंह के साथ 04.04.2014 को न्यायालय अपर सिविल जज डिवीजन अबोहर से तलाक हो चुका है। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के अनुसार वादिया कर्मजीत कौर चक 41 एफ में निवास करती है। व चक 41 एफ में जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 7 में मु.न. 22, 39/5 में कुल 1.265 हैक्टर, खाता संख्या 8 में मु.न. 17,31,39/3 की कुल 3.744 हैक्टर व खाता संख्या 76 में मु.न. 6 में 1.644 हैक्टर भूमि पर स्वय काश्त कर रही है। अतः वादिया का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली में साक्ष्य सबूत के आधार पर वादिया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 41 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 7/7, 8/8 व 76 में अंकित नाम कर्मजीत कौर पत्नि गुरनेक सिंह जाति जटसिख निवासी 41 एफ के स्थान पर कर्मजीत कौर पुत्री रेशम सिंह जाति जटसिख निवासी 41 एफ अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आश्य का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{ **मूलचन्द लूणिया** आर.ए.एस.}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.01.27 13:24:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: